

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 173] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 13, 1970/आश्विन 21, 1892

No. 173] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 1970/ASVINA 21, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September 1970

**G.S.R. 1793.**—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, namely:—

1. These rules may be called the Passports (Third Amendment) Rules, 1970.
2. In Schedule II to the Passports Rules, 1967, under the heading "PART I—PASSPORTS", in column 2 against serial No. II relating to "Official Passports",

(a) for item (2), the following item shall be substituted, namely:—

- "(2) (a) Heads of the Reserve Bank of India, State Bank of India, nationalized banks and Corporations, Undertakings and any other Institutions owned or controlled by the State, proceeding out of India on official work;
- (b) Other officials of such organisations only if the Government of India considers it necessary to issue official passports in the interest of their functioning as such."
- (b) In "Note", paragraph (a) shall be omitted

[No. VI/401/65/70.]  
S. K. BANERJI, Secy.

## विदेश मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1970

जी०एस०आर०1793.—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इसके द्वारा पासपोर्ट नियम, 1967 में संशोधन करके निम्नलिखित नियम और बनाती है, यथा:—

1. इन नियमों को पासपोर्ट (तीसरा संशोधन) नियम, 1970 की संज्ञा दी जाएगी।
2. पासपोर्ट नियम, 1967 की अनुसूची दो में "भाग एक—पासपोर्ट" नामक शीर्षक में "सरकारी पासपोर्ट" से सम्बद्ध क्रम संख्या-दो के सामने कालम दो में,
  - (क) मद (2) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जायगी, यथा:—
  - (2) (क) सरकारी कार्य से भारत से बाहर जाते समय भारत के रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय कृत बकों और निगमों, औद्योगिक संस्थानों और राज्य के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन अन्य किसी भी संस्था के प्रमुख को,
  - (ख) ऐसे संगठनों के अन्य अधिकारियों को भी बशर्ते कि भारत सरकार उनके कार्य संचालन के हित में सरकारी पासपोर्ट जारी करना आवश्यक समझे।
  - (घ) "टिप्पणी" में पैराग्राफ (क) हटा दिया जाएगा।

[सं० /VII/401/1/70]

एस० के० बनर्जी, सचिव।